11.12.19	पत्रावली पेश हुई। पार्टी-वकील व अर्जी अधिवक्ता उपस्थित। अर्जी के वास्ते जवाब प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर दिये गये अ-दिनांक तक जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अवसर बंद किया जाता है। ग्राम-खरनाड़ गर तहसील जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 214 ~~[illegible]~~ बीघा 07 बिस्वा में पार्टी के अपने हिस्से तक मंदिर माफी के रैफरेन्स अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु अवलोकित किया जाता है। तथा अर्जी में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर पर मौके न राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से अलग हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2020.03.04 16:44:37 IST
Reason: SelfAttested